संख्या-190/2016/2296/71-1-2016-जी-234/2007

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 अगस्त, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेडिकल कालेज, बॉदा में मुख्य शैक्षणिक भवन एवं लैब व म्यूजियम हेतु फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/259, दिनॉक 29-07-2015 का संदर्भ ग्रहण करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 19-10-2015 में यह निर्णय लिया गया था कि उक्त प्रायोजना में मुख्य शैक्षणिक भवन एवं लैब व म्यूजियम हेतु फर्नीचर रू0 52.11 लाख, फर्निशिंग कार्य हेतु रू0 750.00 लाख एवं किचेन इक्यूपमेन्ट हेतु रू0 83.59 लाख के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी, जिसके द्वारा मुख्य शैक्षणिक भवन, लैब व म्यूजियम हेतु फर्नीचर, फर्निशिंग कार्य एवं किचेन इक्यूपमेन्ट हेतु संस्तुत लागत प्रायोजना में इन कार्यमदों हेतु प्रस्तावित लागत से अधिक नहीं होगी, की सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। उक्त निर्णय एवं की गयी संस्तुति के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में दिनॉक 04-05-2016 को हुई बैठक में प्रश्नगत कार्यो को औचित्यपूर्ण पाया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा के निर्माण कार्य हेतु उक्त् पुनरीक्षित लागत रू0 51645.42 लाख के सापेक्ष विभिन्न् शासनादेशों द्वारा कुल रू0 42690.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	1717/71-1-08-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 20-06-2008	3000.00
2.	164/71-1-09-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 24-04-2009	2400.00
3	3991/71-1-09-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 07-10-2009	2000.00
4	431/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 28-02-2010	1000.00
5	1036/71-1-2010-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 27-04-2010	2000.00
6	2042/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 02-12-2010	1000.00
7	1178/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 21-07-2011	2500.00
8	2119/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 04-09-2012	1000.00
9	5185/71-1-12-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 13-02-2013	1100.00
10	575/71-1-13-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 30-03-2013	1000.00
11	864/71-1-13-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 31-03-2013	400.00
12	1715/71-1-13-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 10-07-2013	7500.00
13	846/71-1-14-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 25-03-2014	5000.00
14	39/2840/71-1-14-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 11-11-2014	4439.50
15	39/2015/3544/71-1-14-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 13-03-2015	1060.50
16	126/2015/1226/71-1-15-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 03-07-2015	1969.75
17	10/2016/2788/71-1-15-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 02-02-2016	2000.00
18	62/2016/622/71-1-16-जी-234/2007, दिनॉक 28-03-2016	530.25
19	123/2016/1191/71-1-16-जी-234/2007, दिनॉक 16-05-2016	2790.11
	योग-	42690.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- आपके उक्त पत्र दिनॉक 29-07-2015 तथा वित्त समिति की बैठक दिनॉक 19-10-2015 में लिए गए निर्णय के क्रम में मुख्य शैक्षणिक भवन एवं लैब व म्यूजियम हेतु फर्नीचर तथा फर्निशिंग कार्य एवं किचिन इक्युपमेंट के क्रय हेतु संस्तुत धनराशि रू0 885.59 लाख को सम्मिलित करते हुए राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा के निर्माण हेतु संशोधित आकलित लागत रू0 5,25,31,01,000/- (रू0 पॉच अरब पच्चीस करोड़ इक्तीस लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, बॉदा हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 5,00,00,000/- (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
3- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- महानिदेशक/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बांदा द्वारा उक्त मदों में स्थापित होने वाले उपकरणों की गुणवत्ता तथा क्रय नियमों के अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6- उक्त स्वीकृत लागत मूल प्रयोजना में सम्मिलित समझी जाएगी तथा मूल प्रायोजना का अंग होगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-21-राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी0 संख्या-ई-3-1236/दस-2016, दिनॉक 30 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या:-190/2016/2296(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बॉदा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बॉदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बॉदा।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।